

## प्रपत्र – 4

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदकों के अनुशंसित प्रस्तावों की सूचना बावत्**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा –2 अंतर्गत आवेदक : छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर – स्पर परियोजना हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव जिसका रजिस्ट्रेशन क्र. FP/CG/RAIL/12523/2015 है , को वन मण्डलाधिकारी / नोडल अधिकारी / छ.ग.शासन की अनुशंसा उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ से भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल / नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया है ।

**नोडल अधिकारी**